# अध्याय VII : कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

## कार्मिक प्रशिक्षण विभाग

## संघ लोक सेवा आयोग

### 7.1 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर लाइसेंस शुल्क की वसूली

**लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर, संघ लोक सेवा आयोग ने महाराष्ट्र बैंक से जनवरी 2001 से सितम्बर 2011 तक की समय सीमा में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए ₹ 26 लाख में से ₹ 14.88 लाख की लाइसेंस शुल्क की वसूली की गई।**

सामान्य पूल कार्यालय आवास द्वारा संचालित बैंकों और डाक घरों द्वारा देय लाइसेंस शुल्क की दरें संपदा निदेशालय समय-समय पर निर्धारित करता है। संघ लोक सेवा आयोग (सं.लो.से.आ.) के परिसर से संचालित महाराष्ट्र बैंक की एक शाखा तथा एक डाकघर जो क्रमशः 99 वर्ग मी तथा 55 वर्ग मी. की जगह घेरे हुए है।

लेखापरीक्षा ने यह पाया की बैंक के लाइसेंस शुल्क की मांग जो कि निदेशालय द्वारा जनवरी 2001 से बढ़ाया गया था वह 49 वर्ग मी. के कार्पेट क्षेत्र के हिसाब से है जबकि वास्तविक क्षेत्र 99 वर्ग मी. है जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2001 से सितम्बर 2011 तक की समय सीमा में ₹ 18.58 लाख के लाइसेंस शुल्क की उगाही में कमी हुई है। उसी प्रकार से, ₹ 7.54 लाख का लाइसेंस शुल्क डाकघर से उसी समय के दौरान वसूली योग्य है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह बात इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2010), सं.लो.से.आ. ने कहा (अक्तूबर 2011) कि इस विषय को पहले से ही बैंक तथा डाकघर प्राधिकारियों के समक्ष रखा जा चुका है।

मंत्रालय ने सं.लो.से.आ. के जवाब का समर्थन करते हुए (जनवरी 2012), यह कहा कि बैंक द्वारा डी.ओ.इ. में ₹ 14.88 लाख लाइसेंस शुल्क के रूप में वसूल कर जमा (नवम्बर 2011) किया जा चुका है। बकाया राशि की वसूली अभी (दिसम्बर 2011) प्रतीक्षित है।